


13/10/24

पत्रावली फेश / उम्त च वकील उम्त वकील  
वादी के वाद थाय 188,88 रा. अर्ध जरिए  
नोट प्रेश में खारिज करने का निवेदन किया जिस  
पर वकील वादी को सूना गया। वकील वादी ने जाहील  
किया कि उम्त वाद थाय 188,88 रा. अर्ध आगे  
यजाना नहीं आये है। उम्त अ वाद जरिए Not  
Prash में खारिज किया जावे। अतः वाद जरिए  
नोट प्रेश में खारिज किया जात है। पत्रावली क्रमल  
शुकाट होकर दफ्त हो व नम्बर से नम हो।

Not Prash



कलेक्टर  
शुकील